।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 812 /12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 27 अगस्त 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली–बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु 9.612 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन करने पर प्रस्ताव में कतिपय कमियां पायी गई, प्रस्ताव में प्रपत्र क्रमानुसार नही लगाये गये है तथा प्रस्ताव का अपने स्तर से पूर्ण अवलोकन/कमियो के निराकरण उपरान्त प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति में विलम्ब न हो।

1– प्रस्ताव के पेंज नं0 3 में भाग –1 में दिनांक व स्थान रिक्त है।

2–प्रस्ताव के पेज सं0 19 में उप जिलाधिकारी समिति की बैठक प्रमाण पत्र में उप खण्ड स्तरीय समिति का नाम रिक्त व बैठक का दिनांक रिक्त है।

3– प्रस्ताव के पेज सं0 21 में उप जिलाधिकारी समिति की बैठक प्रमाण पत्र में उप खण्ड स्तरीय समिति का नाम रिक्त व बैठक का दिनांक रिक्त है।

4– प्रस्ताव में पेज नं0 28 व पेज नं0 50 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल लालनगरी के खसरा नं0 69 म में 14.200 है0 भूमि तथा ग्राम सिंलगी में 5.024 है0 भूमि वृक्षारोपण हेतु स्थल राजस्व विभाग द्वारा दी गयी है। जबकि आप द्वारा प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु डिजिटल मैप व जियोरिरेन्स मैप में लालनगरी के खसरा नं0 69 में 14.224 है0 व सिंलगी में 5.00 है0 भूमि का के0एम0एल0 फाईल बनायी गयी है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा बिना पत्र का अध्ययन किये ही प्रस्ताव उच्च स्तर को हस्ताक्षर व स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

5– प्रस्ताव के पेज नं0 39 में Alignment में क्र0सं0 20 में पेड़ो की सं0, Average density of forest cover रिक्त है।

6–प्रस्ताव के पेज नं0 68 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र मे ग्राम लालनगरी का ही उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है ग्राम सिंलगी में चयनित भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

7– प्रस्ताव में पेज नं0 70 में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में MOU प्रमाण पत्र में ग्राम बैनोली में खसरा न0 69 मध्ये रकवा 14.200 है0 दर्शित है जबकि राजस्व विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु स्थल लालनगरी में 14.200 है0 व सिंलगी में 5.024 है0 भूमि दी गयी है।

8– प्रस्ताव के पेज नं0 72 में भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या रिपोर्ट में पैरा 02 में प्रस्तावित मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 10.175 है0 बताया गया है जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव में मोटर मार्ग की वास्ताविक लम्बाई 10.125 किमी0 दर्शायी गई है।

9– प्रस्ताव के पेज नं0 77 में न्यूनतम वृक्षो के पातन प्रमाण पत्र में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के हस्ताक्षर नहीं है।

Scanned with CamScanner

9– प्रस्ताव के पेज नं0 77 में न्यूनतम वृक्षो के पातन प्रमाण पत्र में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के हस्ताक्षर नहीं है।

10– प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थल में आ रहे वृक्षो की सूची समरेखण में आ रहे वृक्षो में सम्मिलित वृक्षो से अलग करते हुए समरेखण में आ रहे वृक्षो की सूची व मक डम्पिंग स्थल में आ रहे वृक्षो की सूची को अलग–अलग दर्शित करे, मक डम्पिंग स्थल में आ रहे वृक्षो का पातन निषेध है।

11– प्रस्ताव में पेज 91 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीवअभ्यारण से दूरी प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक आई0टी0 सैल द्वारा निर्गत किये जाते है से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करे।

संलग्नः– प्रस्ताव की चार–चार प्रति।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner